



जे.डी.ए. के पीआरएन नार्थ जोन में बिना सेटबेक छोड़े,बिना पुनर्गठन और बिना अनुमति बन रही अवैध होटल नुमा बिल्डिंग



पीआरएन नार्थ-||,में स्थित बक्षी मार्किट के पीछे,बजरी मंडी रोड के पास,दिल्ली बाईपास रोड,जयपुर की गैर अनुमोदित कोलोनी में बन रही बिना नियम कायदों के होटलनुमा अवैध बिल्डिंग



पहले जे.डी.ए. के प्रवर्तन अधिकारी से सांठ गाँठ कर बनवाया बिल्डिंग का एक भाग, अब बड़े भूभाग में बना रहा है विशालकाय बिल्डिंग

देखने में आया है कि इस बिल्डिंग का निर्माण पहले बहुत धीरे धीरे करवाया गया, फिर देखते ही देखते पांच मंजिला अवैध बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया, अब भवन मालिक द्वारा बड़े शांतिर तरीके से पीछे के भाग में विशालकाय होटलनुमा बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है जो कि बिना प्रवर्तन अधिकारी से सांठ गाँठ के होना ना मुमकिन सा है।

जिम्मेदार कौन?

सम्बंधित ज़ोन	ज़ोन-पीआरएन नार्थ-सेकंड
कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	प्रवर्तन अधिकारी; श्री राम अवतार यादव

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या जिस कॉलोनी में इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है वह जे.डी.ए. द्वारा अनुमोदित है?
2. क्या भूखंड मालिक द्वारा विधिक रूप से इस भूखंड का होटल हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
3. क्या भूखंड मालिक द्वारा जे.डी.ए. से होटल हेतु मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
4. क्या भूखंड मालिक द्वारा जे.डी.ए. विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया गया है?
5. क्या भूखंड मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
6. क्या भूखंड मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
7. इस बिल्डिंग के अवैध होने की स्थिति में जे.डी.ए. को व्यवसायिक रूपांतरण शुल्क, यू.डी. टेक्स, लीज मनी व अन्य शुल्कों के रूप में होने वाली राजस्व आय के नुकसान का जिम्मेदार कौन है?
8. किस प्रवर्तन अधिकारी के कार्यकाल में इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ था?
9. यदि जे.डी.ए. विनियमों के उल्लंघन के अनुसार यह बिल्डिंग अवैध है तो क्या यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान मामले में दिए गए आदेशों की अवमानना नहीं है?